(126)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1391—पीबीआर/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 22—2—2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 37/2005—06/अपील.

श्रीमती कुसुमलता पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा
द्वारा मुख्तयारआम सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा
पुत्र रामवरन शर्मा
निवासी ग्राम पारसेन
तहसील व जिला ग्वालियर .... आवेदिका

विरूद्ध

1— किशन लाल पुत्र सामले जाटव
2— जगदीश पुत्र रामदयाल
निवासीगण ग्राम पारसेन
तहसील व जिला ग्वालियर ....अनावेदकगण

श्री एन0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/1/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—2—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पारसेन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3567, 3568 एवं 3584 उसके भूमिस्वामी स्वत्व की है, और सर्वे क्रमांक 3580 से उसके भूमि पर पहुंचने हेतु शासकीय रास्ता है, जिसे आवेदिका द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । अपर तहसीलदार, वृत मुरार द्वारा दिनांक 25—2—2005 को आदेश पारित कर अनावेदक को प्रश्नाधीन रास्ता व सिंचाई

के लिए पानी ले जाने का रास्ता उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–10–2005 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–2–2006 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा जिस रास्ते की मांग की जा रही है, वह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, और ग्रामवासियों की सहमति से आवेदिका की भूमि में से उत्तर दिशा की ओर पक्का रास्ता बनवाया जा चुका है, जिससे ग्रामवासी आवागमन करते हैं । यह भी कहा गया कि आवेदिका की भूमि में से शासकीय रास्ता निकाला गया है, जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में कर दिया गया है, और आवेदिका को भूमि का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है । चूंकि आवेदिका की भूमि का रकबा कम हो गया था, अतः सर्वे कमांक 3580 में अभिलिखित रास्ता, जिसका कि वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, आवेदिका की भूमि के रकबे में शम्मिलित कर दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदिका की भूमि में से नया रास्ता खुलवाने का आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया गया है, और स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता होने एवं उसे आवेदिका द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में पूर्णतः विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा भी कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर